क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशक(निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल,धनीपुर,अलीगढ।

पत्रांक:नि0 / निविदा / 2011– 432 दिनॉक: 29/6/2011

अल्प कालीन निविदा सूचना

निम्न कार्यो हेतु मण्डी परिषद मे वांछित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनॉक: 16.07.2011 को 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है,जो उसी दिनॉक को 3.30 बजे तक उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शपथ–पत्र के साथ वांछित धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर. / एन.एस.सी. जो उपनिदेशक(निर्माण),मण्डी परिषद अलीगढ के पदनाम से बन्धक हो,मूलरूप मे संलग्न करते हुये अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं उप निदेशक (प्रशा0 / विप0) नवीन मण्डी स्थल धनीपुर अलीगढ एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डी0एस0 कालेज अलीगढ,से आमंत्रित तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदाओं का विवरण निम्नवत है।

1– मण्डी समिति छर्रा क्षेत्रान्तर्गत उपमण्डी सांकरा का विकास कार्य।
2– मण्डी समिति हाथरस क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग पोपा से नीनामई तक का निर्माणकार्य।
3– मण्डीसमिति हाथरस क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग विद्यापीठ इण्टर कालेज सासनी से रामनगर चौराहे (कि.मी.0.00से0.70)तक का निर्माण कार्य।
4– मण्डीसमिति हाथरस क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग विद्यापीठ इण्टर कालेज सासनी से रामनगर चौराहे (कि.मी.0.70से1.67)तक का निर्माण कार्य।

नोट:– धरोहर धनराशि कम सं0–1,2,3 एवं 4 हेतु कमशः रू0 3.15लाख,रू03.22लाख,रू0 2.55लाख एवं रू0 0.50लाख।निविदा प्रपत्र का मूल्य– प्रत्येक हेतु रू0 1135 / – कार्यपूर्ण करने की अवधि– प्रत्येक हेतु 06माह। पंजीकरण श्रेणी– क0सं0 1 एवं 2 हेतु 'स'श्रेणी तथा क0सं0 3 एवं 4 हेतु 'द'श्रेणी।क0सं0 4 पर अंकित कार्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। निविदा कय करते समय टी–4, टी–5 एवं टी–6 प्रमाण पत्र मूलरूप में अवलोकन हेतु एवं 01 नग फोटोप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा विभागीय बेबसाइट www.up info.org पर भी उपलब्ध है।

उपनिदेशक(निर्माण)
मण्डी परिषद,अलीगढ़।

नियम एवं शर्ते :-

1-- निविदा प्रपत्र डाक द्वारा रू0 25.00 अतिरिक्त डाक व्यय देने पर भेजी जायेंगी,लेकिन डाक द्वारा समय से निविदा न प्राप्त होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।

2 निविदा केवल मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों को ही निर्गत की जायेंगी।

3 अधोहस्ताक्षरी को समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

4 कार्य की मदें या मात्रायें निविदा स्वीकृति के पूर्व या बाद में घटाने या बढ़ाने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।

5 समस्त भुगतान बिलों से वाणिज्यकर,आयकर एवं रायल्टी की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

6 अनुबन्ध करते समय शासन द्वारा निर्धारित के स्टाम्प पेपर ड्यूटी के रूप में देने होंगे।

7 निविदा के साथ रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर रू0 1.00की रसीदी टिकट लगा हुआ तीन माह की वैद्यता अवधि के लिए लिखकर देना होगा।

8 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

9 आइटम वाइज दरें मान्य नहीं होगी। निविदादाताओं द्वारा कार्य की कुल लागत पर प्रतिशत दरें ही मान्य होंगी।

10 यदि किसी ठेकेदार द्वारा एक ही कार्य की एक से अधिक निविदायें डाली जायेंगी तो उसकी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11 धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर / सी.डी.आर. / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में निविदा क्रय करते समय जमा करना अनिवार्य है,जो उप निदेशक(निर्माण) मण्डी परिषद अलीगढ़ के पदनाम बंधक होनी चाहिए अन्यथा निविदा निर्गत नहीं की जायेगी, राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर. / सी.डी.आर.के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक ककी एफ.डी.आर. / सी.डी.आर.मान्य नहीं होगी।

12 जनरल सिक्योरिटी के विरूद्व निविदा मान्य नहीं होगी निविदादाताओं के समक्ष उपस्थित जमानत की धनराशि निविदा के साथ लगानी होगी।

13 निविदा में दी जाने वाली दरें दशमलव के दो अंकों तक ही मान्य होंगी।

14 अवमुक्त की गयी एफ.डी.आर.आदि धरोहर धनराशि के रूप में मान्य नहीं होंगी।

15 निविदा में किसी प्रकार के निगोशियेशन नहीं किये जायेंगे,निविदा खुलने के बाद प्राप्त दरें ही अन्तिम होंगी और उन्हीं के आधार पर निर्णय लिये जायेंगे।

16 निविदा की दरें दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने (शून्य से एक प्रतिशत के मध्य होने पर)एवं दरों को शब्दों में भी न भरे होने पर निविदा को अवैध मानते हुए उसपर विचार नहीं किया जायेगा।

17 यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ा जाता है तो कार्य की अनुबन्धित धनराशि का 10प्रतिशत अर्थदण्ड या अवशेष कार्य को पूर्ण कराने में अतिरिक्त व्यय का अन्तर जो भी अधिक होगा उसकी कटौती की जायेगी।

18 यदि किसी प्रकार से सम्बन्धित सिंगिल निविदा प्राप्त होती है तो बिना दरें डिक्टेड किये निविदा यथास्थिति सीलबन्द कर दिया जायेगा।

19 क0सं0 6 पर अंकित कार्य की निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेगी जिनका पंजीकरण यू.पी.एस.आई.डी.सी.में होगा।

उप निदेशक(निर्माण)
मण्डीपरिषद,अलीगढ़।

पृष्ठांकनःनि0 / निविदा / 2011 432 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 आयुक्त एवं निदेशक / अपर निदेशक(प्र0)मण्डीपरिषद,लखनऊ।
2 जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,,अलीगढ / महामायानगर।
3 मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता मण्डीपरिषद,लखनऊ।
4 वित्त नियन्त्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी,मण्डीपरिषद,लखनऊ।
5 सम्भागीय उप निदेशक(प्र0 / वि0)मण्डीपरिषद,अलीगढ़।
6 समस्त उप निदेशक(निर्माण) मण्डी परिषद,उ0प्र0।
7 सचिव,कृषि उत्पादन मण्डीसमिति,छर्रा / हाथरस।
8 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक डी0एस0कालेज,अलीगढ़।
9 स0लेखाधिकारी,मण्डीपरिषद,अलीगढ़।
10 सहायक लेखाधिकारी / संगणक,मण्डीपरिषद,अलीगढ़।
11 सहा0अभि0 / अवर अभि0मण्डीपरिषद,अलीगढ़।
12 समस्त पंजीकृत ठेकेदार,निर्माण खण्ड मण्डीपरिषद,अलीगढ़।
13-- सिस्टम मैनेजर,मण्डीपरिषद,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि परिषद मुख्यालय के पत्रांक 3895 दि0 06.1.07 के अनुपालन में उक्त निविदा प्रपत्र को बेबसाइट पर लोड करने का कष्ट करें।
14 नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
15 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,जिला सूचना केन्द्र,महामायानगर।

उप निदेशक(निर्माण)